भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 452
दिनांक 02 दिसंबर, 2025 / 11 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराध

†452. श्री गुरमीत सिंह मीत हायेरः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान स्कैम कॉल, फिशिंग और साइबर अपराधों सहित ऑनलाइन धोखाधड़ी के वर्ष-वार और राज्य- वार कितने मामले दर्ज किए गए हैं;
(ख) ऐसे धोखाधड़ी के संबंध में की गई गिरफ्तारियों की संख्या तथा दोषसिद्धि दर कितनी है;
(ग) साइबर अपराध प्रवर्तन को मजबूत करने और आईसीटी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके धोखाधड़ी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(घ) क्या सरकार ऑनलाइन धोखाधड़ी के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान की भरपाई के लिए नागरिकों के लिए बीमा कवर शुरू करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो प्रस्तावित ढांचे का ब्यौरा क्या है;
(ङ) ऑनलाइन धोखाधड़ी के कारण अनुमानित कितनी राशि की धोखाधड़ी की गई तथा इसमें से कितनी राशि की आधिकारिक तौर पर जानकारी दी गई है; और
(च) ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराध के शिकार कितने प्रतिशत लोग वास्तव में अधिकारियों को अपराध की शिकायत करते हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (च) : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपराधों से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों को अपने प्रकाशन 'क्राइम-इन-इंडिया' में संकलित और प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2023 की है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019 से 2023 के दौरान साइबर अपराधों (माध्यम /लक्ष्य के रूप में संचार उपकरणों समेत) के तहत दर्ज किए गए मामलों का अपराध शीर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा क्रमशः अनुलग्नक-I एवं II में दिया गया है।

लोक सभा अता.प्रं.सं. 452, दिनांक 02.12.2025

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019 से 2023 की अवधि के दौरान साइबर अपराधों संबंधी धोखाधड़ी (माध्यम /लक्ष्य के रूप में संचार उपकरणों समेत) के तहत दर्ज किए गए मामलों, आरोप-पत्रित मामलों, विचारण पूर्ण हो चुके मामलों, दोषसिद्ध मामलों, दोष सिद्धि दर तथा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा अनुलग्नक-III में दिया गया है। ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराध के ऐसे पीड़ितों के प्रतिशत से संबंधित विशिष्ट आँकड़े (डेटा) जो वास्तव में अधिकारियों को अपराध की रिपोर्ट करते हैं, एनसीआरबी द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के माध्यम से साइबर अपराध समेत अपराधों की रोकथाम करने, उनका पता लगाने, जाँच करने और अभियोजन चलाने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के क्षमता संवर्धन के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों में एडवाइजरी और विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के माध्यम से सहायता प्रदान करती है।

केंद्र सरकार ने साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित ढंग से निपटने हेतु तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i. गृह मंत्रालय ने देश में सभी प्रकार के साइबर अपराधों से समन्वित और व्यापक ढंग से निपटने के लिए एक संबद्ध कार्यालय के रूप में 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (आई4सी) स्थापित किया है।

ii. महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराधों पर विशेष बल देते हुए, सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की सूचना देने में जनता को समर्थ बनाने हेतु आई4सी के भाग के रूप में 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' (एनसीआरपी) (https://cybercrime.gov.in) शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर सूचित की गई साइबर अपराध की घटनाओं, उन्हें एफआईआर में बदलने और उन पर आगे कार्रवाई से जुड़े कार्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की संबंधित विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कानून के प्रावधानों के अनुसार किए जाते हैं।

iii. वित्तीय धोखाधड़ियों की तत्काल सूचना देने और धोखाधड़ी करने वालों के द्वारा निधियों की चोरी को रोकने के लिए वर्ष 2021 में आई4सी के तहत 'नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली' (सीएफसीएफआरएमएस) शुरू की गई है। अब तक 23.02 लाख से अधिक शिकायतों में 7,130

करोड़ रुपये से अधिक की राशि को बचाया गया है। साइबर शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नम्बर '1930' शुरू किया गया है।

iv. आई4सी में एक अत्याधुनिक साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र (सीएफएमसी) स्थापित किया गया है, जहां प्रमुख बैंकों, वित्तीय मध्यस्थों, भुगतान एग्रीगेटर्स, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, आईटी मध्यस्थों के प्रतिनिधि और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि साइबर अपराध से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई और निर्बाध सहयोग के लिए साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

v. अभी तक, पुलिस अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट किए गए 11.14 लाख से अधिक सिम कार्ड और 2.96 लाख आईएमईआई को भारत सरकार ने ब्लॉक कर दिया है।

vi. आई4सी, गृह मंत्रालय सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, क्षमता निर्माण को बढ़ाने आदि के लिए नियमित रूप से 'स्टेट कनेक्ट', 'थाना कनेक्ट' और सहकर्मी शिक्षण सत्र आयोजित कर रहा है।

vii. राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की पुलिस के जांच अधिकारियों (आईओ) को प्रारंभिक स्तर पर साइबर फॉरेंसिक में सहायता प्रदान करने के लिए, आई4सी के एक भाग के रूप में नई दिल्ली (दिनांक 18.02.2019 को) एवं असम (दिनांक 29.08.2025 को) में अत्याधुनिक 'राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला (जाँच)' स्थापित की गई है। अभी तक, साइबर अपराधों से संबंधित लगभग 12,952 मामलों की जाँच में मदद करने के लिए राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला (जाँच), नई दिल्ली ने राज्यों/ संघ-राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों को अपनी सेवाएं प्रदान की हैं।

viii. साइबर अपराध की जांच, फॉरेंसिक, अभियोजन आदि के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से पुलिस अधिकारियों/न्यायिक अधिकारियों के क्षमता निर्माण हेतु आई4सी के तहत 'साइट्रेन' पोर्टल नामक "वृहत ओपन ऑनलाइन कोर्स (एमओओसी)" प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के 1,44,895 से अधिक पुलिस अधिकारियों/न्यायिक अधिकारियों का पंजीकरण किया गया है और 1,19,628 से अधिक प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं।

ix. गैरकानूनी कार्य करने के लिए उपयोग की जा रही किसी भी जानकारी, डेटा या संचार लिंक को हटाने या अक्षम करने की सुविधा के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 79 की उप-धारा (3) के खंड (ख) के तहत उपयुक्त सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा आईटी मध्यस्थों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 'सहयोग' पोर्टल शुरू किया गया है।

x. बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से आई4सी द्वारा दिनांक 10.09.2024 को साइबर अपराधियों की पहचान की एक संदिग्ध रजिस्ट्री शुरू की गई है। अब तक, बैंकों से प्राप्त 18.43 लाख से अधिक संदिग्ध पहचानकर्ता डेटा और 24.67 लाख लेयर 1 म्युल खातों को संदिग्ध रजिस्ट्री की भाग लेने वाली संस्थाओं के साथ साझा किया गया है और 8031.56 करोड़ रुपये के लेनदेन को रोका गया।

xi. समन्वय प्लेटफॉर्म को प्रचालनात्मक बनाया गया है जो साइबर अपराध संबंधी डेटा के आदान-प्रदान और विश्लेषण के लिए विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) हेतु प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्लेटफॉर्म, डेटा भंडार और समन्वय प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। यह विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में साइबर अपराध की शिकायतों में शामिल अपराधों और अपराधियों के अंतर्राज्यीय संबंधों पर आधारित विश्लेषण प्रदान करता है। मॉड्यूल 'प्रतिबिंब' अपराधियों और अपराध संबंधी अवसंरचना के स्थानों को मानचित्र पर प्रदर्शित करता है, ताकि क्षेत्राधिकारियों को इसकी जानकारी मिल सके। यह मॉड्यूल विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा आई4सी और अन्य एसएमई (SMEs) से तकनीकी-कानूनी सहायता मांगने तथा प्राप्त करने की सुविधा भी प्रदान करता है। इससे 16,840 आरोपियों की गिरफ्तारी और 1,05,129 साइबर जांच सहायता अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

xii. केंद्र सरकार ने साइबर अपराध जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न पहल की हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं: -

1) माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिनांक 27.10.2024 को "मन की बात" के दौरान डिजिटल गिरफ्तारी के बारे में बात की और भारत के नागरिकों को अवगत कराया।
2) दिनांक 28.10.2024 को डिजिटल गिरफ्तारी पर आकाशवाणी, नई दिल्ली द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।
3) कॉलर ट्यून अभियान: आई4सी ने दूरसंचार विभाग (डीओटी) के साथ मिलकर साइबर अपराध के बारे में जागरूकता बढ़ाने और साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 तथा एनसीआरपी पोर्टल को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 19.12.2024 से कॉलर ट्यून अभियान शुरू किया है। कॉलर ट्यून को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा अंग्रेजी, हिंदी और 10 क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया गया। कॉलर ट्यून के छह संस्करण बजाए गए, जिनमें विभिन्न कार्यप्रणाली, जैसे डिजिटल गिरफ्तारी, निवेश घोटाला, मैलवेयर, फर्जी लोन ऐप, फर्जी सोशल मीडिया विज्ञापन, आदि शामिल थे।

4) केंद्र सरकार ने डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों पर एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, अखबार में विज्ञापन, दिल्ली मेट्रो में उदघोषणा, विशेष पोस्ट बनाने के लिए सोशल मीडिया प्रभावकारी व्यक्तियों (Influencers) का उपयोग, प्रसार भारती और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अभियान, आकाशवाणी पर विशेष कार्यक्रम आदि शामिल हैं।
5) डीडी न्यूज के साथ साझेदारी में, आई4सी ने **19** जुलाई **2025** से **52** सप्ताह के लिए साप्ताहिक शो साइबर-अलर्ट के माध्यम से चलने वाला एक साइबर अपराध जागरूकता अभियान चलाया।
6) केंद्र सरकार ने साइबर अपराध के बारे में और जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ एसएमएस, आई4सी सोशल मीडिया अकाउंट जैसे कि एक्स (पूर्व में ट्विटर) (@CyberDost), फेसबुक (CyberDostI4C), इंस्टाग्राम (CyberDostI4C), टेलीग्राम (cyberdosti4c) के माध्यम से संदेश प्रसारित करना, एसएमएस अभियान, टीवी अभियान, रेडियो अभियान, स्कूल अभियान, सिनेमा हॉल में विज्ञापन, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, आईपीएल अभियान, कुंभ मेला 2025 और सूरज कुंड मेला 2025 के दौरान अभियान, कई माध्यमों से प्रचार हेतु माईगव का उपयोग करना, राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के सहयोग से साइबर सुरक्षा एवं संरक्षा जागरूकता सप्ताह का आयोजन करना, किशोरों/ छात्रों के लिए हैंडबुक का प्रकाशन करना, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर डिजिटल प्रदर्शन (Displays) आदि शामिल हैं।

*****

अनुलग्नक-I
लोक सभा अता.प्र.सं. 452 दिनांक 02.12.2025

वर्ष 2019-2023 के दौरान साइबर अपराधों के तहत अपराध शीर्ष-वार दर्ज किए गए मामले

क्र.सं.	अपराध शीर्ष	2019	2020	2021	2022	2023
1	कंप्यूटर स्रोत दस्तावेजों से छेड़छाड़ करना	173	338	55	65	71
2	कंप्यूटर से संबंधित अपराध	23734	21926	19915	23894	35329
3	साइबर आतंकवाद	12	26	15	12	11
4	इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील/यौन रूप से स्पष्ट कृत्य का प्रकाशन/प्रसारण	4203	6308	6598	6896	7893
5	सूचना का अवरोधन या निगरानी या डिक्रिप्शन	9	7	2	1	1
6	सुरक्षित कंप्यूटर सिस्टम तक अनधिकृत पहुँच/पहुंचने का प्रयास	2	2	3	1	1
7	अपराध करने के लिए उकसाना	0	1	7	4	0
8	अपराध करने का प्रयास	14	18	5	18	11
9	आईटी अधिनियम की अन्य धाराएं	2699	1017	827	1017	920
क	**सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत कुल अपराध**	30846	29643	27427	31908	44237
10	आत्महत्या के लिए उकसाना (ऑनलाइन)	7	10	10	24	30
11	साइबर स्टॉकिंग / महिलाओं / बच्चों की बुलिंग	771	872	1176	1471	1305
12	डेटा चोरी	282	98	170	97	113
13	धोखाधड़ी	6229	10395	14007	17470	19466
14	बेईमानी करना	3367	4480	6343	10509	16943
15	जालसाजी	511	582	198	224	444
16	डिफेमेशन/मॉर्फिंग	19	51	31	61	36
17	नकली प्रोफाइल	85	149	123	157	225
18	कॉउंटरफीटिंग	5	9	2	2	0
19	साइबर ब्लैकमेलिंग/थ्रेटनिंग	362	303	689	696	689
20	सोशल मीडिया पर फर्जी समाचार	188	578	179	230	209
21	अन्य अपराध	1974	2674	2456	2857	2389
ख	**भारतीय दंड संहिता के तहत कुल अपराध**	13800	20201	25384	33798	41849
22	जुआ अधिनियम (ऑनलाइन जुआ)	22	63	27	37	87
23	लॉटरी अधिनियम (ऑनलाइन लॉटरी)	9	26	4	6	0
24	कॉपी राइट एक्ट	34	49	32	27	23
25	ट्रेड मार्क एक्ट	1	5	1	14	1
26	अन्य एसएलएल अपराध	23	48	99	103	223
ग	**एसएलएल के तहत कुल अपराध**	89	191	163	187	334
	कुल साइबर अपराध	**44735**	**50035**	**52974**	**65893**	**86420**

स्रोत: एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित 'क्राइम इन इंडिया'।

अनुलग्नक-II
लोक सभा अता.प्र.सं. 452 दिनांक 02.12.2025

वर्ष 2019-2023 के दौरान साइबर अपराधों के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार दर्ज किए गए मामले

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019	2020	2021	2022	2023
1	आंध्र प्रदेश	1886	1899	1875	2341	2341
2	अरुणाचल प्रदेश	8	30	47	14	24
3	असम	2231	3530	4846	1733	909
4	बिहार	1050	1512	1413	1621	4450
5	छत्तीसगढ़	175	297	352	439	473
6	गोवा	15	40	36	90	86
7	गुजरात	784	1283	1536	1417	1995
8	हरियाणा	564	656	622	681	751
9	हिमाचल प्रदेश	76	98	70	77	127
10	झारखंड	1095	1204	953	967	1079
11	कर्नाटक	12020	10741	8136	12556	21889
12	केरल	307	426	626	773	3295
13	मध्य प्रदेश	602	699	589	826	685
14	महाराष्ट्र	4967	5496	5562	8249	8103
15	मणिपुर	4	79	67	18	3
16	मेघालय	89	142	107	75	64
17	मिजोरम	8	13	30	1	31
18	नागालैंड	2	8	8	4	2
19	ओडिशा	1485	1931	2037	1983	2348
20	पंजाब	243	378	551	697	511
21	राजस्थान	1762	1354	1504	1833	2435
22	सिक्किम	2	0	0	26	12
23	तमिलनाडु	385	782	1076	2082	4121
24	तेलंगाना	2691	5024	10303	15297	18236
25	त्रिपुरा	20	34	24	30	36
26	उत्तर प्रदेश	11416	11097	8829	10117	10794
27	उत्तराखण्ड	100	243	718	559	494
28	पश्चिम बंगाल	524	712	513	401	309
	कुल राज्य	**44511**	**49708**	**52430**	**64907**	**85603**
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	5	8	28	47
30	चंडीगढ़	23	17	15	27	23
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	3	3	5	5	6
32	दिल्ली	115	168	356	685	407
33	जम्मू और कश्मीर	73	120	154	173	185
34	लद्दाख		1	5	3	1
35	लक्षद्वीप	4	3	1	1	1
36	पुडुचेरी	4	10	0	64	147
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**224**	**327**	**544**	**986**	**817**
	कुल (अखिल भारत)	**44735**	**50035**	**52974**	**65893**	**86420**

स्रोत: एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित 'क्राइम इन इंडिया'।

अनुलग्नक-III (पृष्ठ 2 का 1)
लोक सभा अता.प्र.सं. 452 दिनांक 02.12.2025

वर्ष 2019 से 2023 की अवधि के दौरान साइबर अपराधों संबंधी धोखाधड़ी (माध्यम /लक्ष्य के रूप में संचार उपकरणों समेत) के तहत दर्ज किए गए मामलों (सीआर), आरोप-पत्रित मामलों (सीसीएस), विचारण पूर्ण हो चुके मामलों (सीटीसी), दोषसिद्ध मामलों (सीओएन), दोष सिद्धि दर (सी रेट) गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों (पीएआर) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019						2020						2021					
		सीआर	सीसीएस	सीटीसी	सीओएन	सी रेट	पीएआर	सीआर	सीसीएस	सीटीसी	सीओएन	सी रेट	पीएआर	सीआर	सीसीएस	सीटीसी	सीओएन	सी रेट	पीएआर
1	आंध्र प्रदेश	703	36	1	0	0.0	68	764	57	5	2	40.0	76	952	82	8	3	37.5	64
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	-	0	3	0	0	0	-	5	2	0	0	0		0
3	असम	83	32	8	0	0.0	58	58	17	1	0	0.0	18	82	18	2	0	0.0	194
4	बिहार	1008	276	49	4	8.2	993	1294	569	0	0	-	634	1373	402	3	2	66.7	944
5	छत्तीसगढ़	35	14	0	0	-	25	71	15	6	0	0.0	35	67	17	0	0		32
6	गोवा	0	0	0	0	-	0	1	0	0	0	-	0	1	0	0	0		0
7	गुजरात	107	53	0	0	-	242	205	25	0	0	-	57	208	68	0	0		194
8	हरियाणा	107	6	0	0	-	8	36	7	0	0	-	18	52	26	0	0		102
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	-	0	1	1	0	0	-	3	6	1	0	0		4
10	झारखंड	18	2	2	2	100.0	2	83	1	1	1	100.0	2	79	4	0	0		6
11	कर्नाटक	7	1	0	0	-	1	0	0	0	0	-	0	6	3	0	0		3
12	केरल	14	7	4	0	0.0	12	6	1	0	0	-	5	16	5	4	0	0.0	7
13	मध्य प्रदेश	25	6	1	1	100.0	14	69	16	0	0	-	47	89	40	0	0		103
14	महाराष्ट्र	1681	144	9	0	0.0	289	2032	102	10	0	0.0	326	1678	214	14	9	64.3	453
15	मणिपुर	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0		0
16	मेघालय	0	0	0	0	-	0	10	0	0	0	-	0	0	0	0	0		0
17	मिजोरम	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0		0
18	नागालैंड	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0		0
19	ओडिशा	956	58	0	0	-	70	1079	60	0	0	-	74	1205	74	0	0		64
20	पंजाब	35	4	0	0	-	29	16	1	0	0	-	14	29	5	0	0		15
21	राजस्थान	324	14	2	1	50.0	17	332	21	0	0	-	29	371	55	0	0		108
22	सिक्किम	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0		0
23	तमिलनाडु	11	0	0	0	-	19	5	0	0	0	-	2	107	0	0	0		35
24	तेलंगाना	282	91	5	2	40.0	172	3316	469	208	202	97.1	582	7003	579	12	3	25.0	743
25	त्रिपुरा	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0		0
26	उत्तर प्रदेश	813	367	14	8	57.1	503	837	304	16	16	100.0	375	614	216	15	13	86.7	322
27	उत्तराखण्ड	3	0	0	0	-	1	1	1	0	0	-	1	0	0	0	0		0
28	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	-	0	145	19	0	0	-	8	40	2	0	0		3
	कुल राज्य	**6212**	**1111**	**95**	**18**	**18.9**	**2523**	**10364**	**1686**	**247**	**221**	**89.5**	**2311**	**13980**	**1811**	**58**	**30**	**51.7**	**3396**
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0		0
30	चंडीगढ़	0	1	1	0	0.0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0		0
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0		0
32	दिल्ली	11	7	0	0	-	16	31	2	0	0	-	21	19	4	0	0		106
33	जम्मू और कश्मीर	6	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	8	0	0	0		1
34	लद्दाख					-		0	0	0	0	-	0	0	0	0	0		0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0		0
36	पुडुचेरी	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0		0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**17**	**8**	**1**	**0**	**0.0**	**16**	**31**	**2**	**0**	**0**	**-**	**21**	**27**	**4**	**0**	**0**		**107**
	कुल (अखिल भारत)	**6229**	**1119**	**96**	**18**	**18.8**	**2539**	**10395**	**1688**	**247**	**221**	**89.5**	**2332**	**14007**	**1815**	**58**	**30**	**51.7**	**3503**

स्रोत: एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित 'क्राइम इन इंडिया'।

अनुलग्नक-III (पृष्ठ 2 का 2)
लोक सभा अता.प्र.सं. 452 दिनांक 02.12.2025

वर्ष 2019 से 2023 की अवधि के दौरान साइबर अपराधों संबंधी धोखाधड़ी (माध्यम /लक्ष्य के रूप में संचार उपकरणों समेत) के तहत दर्ज किए गए मामलों (सीआर), आरोप-पत्रित मामलों (सीसीएस), विचारण पूर्ण हो चुके मामलों (सीटीसी), दोषसिद्ध मामलों (सीओएन), दोष सिद्धि दर (सी रेट) गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों (पीएआर) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2022						2023					
		सीआर	सीसीएस	सीटीसी	सीओएन	सी रेट	पीएआर	सीआर	सीसीएस	सीटीसी	सीओएन	सी रेट	पीएआर
1	आंध्र प्रदेश	984	69	10	2	20.0	141	909	77	21	0	0.0	75
2	अरुणाचल प्रदेश	0	2	0	0	-	2	0	0	0	0	-	0
3	असम	16	1	0	0	-	3	0	0	2	0	0.0	0
4	बिहार	1441	829	5	2	40.0	1311	2611	1540	4	2	50.0	1899
5	छत्तीसगढ़	42	19	0	0	-	37	29	10	1	0	0.0	11
6	गोवा	11	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0
7	गुजरात	108	43	1	0	0.0	93	112	32	0	0	-	88
8	हरियाणा	44	28	0	0	-	62	11	6	0	0	-	16
9	हिमाचल प्रदेश	9	0	0	0	-	2	7	5	0	0	-	0
10	झारखंड	98	53	0	0	-	85	43	21	1	0	0.0	21
11	कर्नाटक	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0
12	केरल	26	2	0	0	-	9	117	3	1	0	0.0	15
13	मध्य प्रदेश	180	36	11	4	36.4	83	91	18	8	6	75.0	52
14	महाराष्ट्र	2202	168	4	0	0.0	425	2075	276	22	0	0.0	565
15	मणिपुर	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0
16	मेघालय	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0
17	मिजोरम	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0
18	नागालैंड	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0
19	ओडिशा	957	62	0	0	-	87	1362	75	0	0	-	139
20	पंजाब	61	6	1	0	0.0	43	25	16	1	1	100.0	27
21	राजस्थान	292	47	15	13	86.7	70	84	9	0	0	-	18
22	सिक्किम	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0
23	तमिलनाडु	251	21	1	0	0.0	78	887	14	1	0	0.0	46
24	तेलंगाना	9581	1786	108	34	31.5	1730	10626	1760	410	6	1.5	505
25	त्रिपुरा	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0
26	उत्तर प्रदेश	766	151	74	74	100.0	227	287	86	2	0	0.0	63
27	उत्तराखण्ड	31	13	0	0	-	14	18	19	0	0	-	19
28	पश्चिम बंगाल	30	1	0	0	-	27	7	3	0	0	-	6
	कुल राज्य	**17130**	**3337**	**230**	**129**	**56.1**	**4529**	**19301**	**3970**	**474**	**15**	**3.2**	**3565**
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0
30	चंडीगढ़	2	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0
32	दिल्ली	331	51	0	0	-	249	163	31	10	7	70.0	85
33	जम्मू और कश्मीर	7	3	0	0	-	0	2	0	0	0	-	0
34	लद्दाख	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0
36	पुदुचेरी	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**340**	**54**	**0**	**0**	**-**	**249**	**165**	**31**	**10**	**7**	**70.0**	**85**
	कुल (अखिल भारत)	**17470**	**3391**	**230**	**129**	**56.1**	**4778**	**19466**	**4001**	**484**	**22**	**4.5**	**3650**

स्रोत: एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित 'क्राइम इन इंडिया'।